




हरिद्वार-रुदुकी विकास प्राधिकरण

इन्डलोक आवासीय योजना (ग्रुप हाउसिंग)


आवेदन-पत्र




मूल्य ₹ 590/- (कर सहित)

पंजीकरण दिनांक 18-08-2023 से प्रारम्भ होकर 18-11-2023 तक खुला रहेगा।

2 BHK



E.W.S.



हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

- योजना का नाम :- इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में ग्रुप हाउसिंग योजना
- योजना का पता :- ग्राम रावली महदूद एवं रानीपुर (अन्दर सीमा नगर पालिका परिषद) शिवालिक नगर, हरिद्वार
- योजना का क्षेत्रफल :- 34.50 एकड़ है तथा पूर्ण विकसित है जिसमें लगभग 10000.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर ग्रुप हाउसिंग भवन निर्मित है।
- फ्लैटों का विवरण :-**

क्रम	फ्लैट की श्रेणी एवं रिक्त भवनों की संख्या	मंजिल	सुपर एरिया (वर्गमीटर)	आंतरिक संरचना	अनुमानित मूल्य रु.	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1.	2 बी.एच.के. सं. (84)	स्टिल्ट + 6 मंजिला	126.34	2 बैडरुम अटैच टायलेट/बाथरुम, ड्राईनिंग, किचन, बालकनी	48,00,000.00	4,80,000.00
2.	एक रुम (ई. डब्लू. एस.) सं. 28	जी + 3	24.94	1 कमरा, किचन, टायलेट/बाथरुम	7,00,000.00	70,000.00

- कॉमन/सामुहिक सुविधायें :-**

- 2 बी.एच.के. के बेसमेंट स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग ग्रुप हाउसिंग योजना के प्रति आवंटी के लिए 01 कार पार्किंग उपलब्ध रहेगी।
- योजना के अन्तर्गत रिक्त भूमि/सर्विस एरिया का उपयोग योजना के पार्क एवं सीवर लाईन जल लाईन तथा विद्युत लाईनों/ट्रांसफार्मर व प्राधिकरण विवेकानुसार अन्य विकास कार्यों के उपयोग में लिया जाएगा।
- 2 बी.एच.के. के अन्तर्गत लिफ्ट का प्राविधान है जिसका उपयोग आवंटियों के लिए होगा।

- विक्रय/लीज :-**

- फ्लैटों का विक्रय एवं भूमि के पट्टे का आवंटन 90 वर्ष हेतु किया जाएगा।
- फ्लैटों के निर्माण में उपयोग की गयी भूमि का तलों के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा तथा समानुपातिक दर से निर्धारित भूमि के मूल्य का वार्षिक किराया/लीजरेन्ट का निम्नानुसार भुगतान एकमुश्त 90 वर्ष के लिए लीजडीड निष्पादन से पूर्व करना होगा—

क्र.	फ्लैट की श्रेणी	लीजरेन्ट (रु.)
1.	2 बी.एच.के.	64,206.00
2.	ई.डब्लू.एस.	भूतल-20,277.00 प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल-10,139.00

- आवंटित फ्लैट की लीज का हस्तान्तरण बिना उपाध्यक्ष की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा परन्तु उपाध्यक्ष की अनुमति उपरान्त भूमि मूल्य का 5 प्रतिशत भुगतान करने पर लीज ट्रांसफर की अनुमति होगी। लीज हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यय क्रेता को वहन करना होगा।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

7. पात्रता :-

- 7.1 आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
7.2 आवेदन/पंजीकरण की तिथि को आवेदक व्यस्क होना चाहिए।
7.3 आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अव्यस्क बच्चों से है) के नाम हरिद्वार विकास क्षेत्र में हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अथवा किसी स्थानीय निकाय अथवा सहकारी समिति द्वारा विकसित योजना में अपना भूखण्ड/भवन/फ्लैट नहीं होना चाहिए तथा आवेदक के नाम उत्तराखण्ड राज्य के अन्य किसी नगर/शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन/फ्लैट नहीं होना चाहिए, इस सम्बन्ध में आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना डॉगा।
7.4 आवेदक को निर्धारित किश्तें एवं भवन मूल्य भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए।
7.5 (EWS) दुर्बल आय वर्ग (1 रुम फ्लैट) के आवंटी की वार्षिक आय रु. 5,00,000.00 ((पांच लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुर्बल आय वर्ग के आवेदक को निर्धारित आय के सम्बन्ध में सक्षम मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. पंजीकरण पुस्तिका/नियमावली की प्राप्ति एवं आवेदन की प्रक्रिया :-

- 8.1 पंजीकरण पुस्तिका रु. 500.00 + 90 (GST) का भुगतान करके किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा अथवा सम्पूर्ण पंजीकरण पुस्तिका (नियमों सहित) प्राधिकरण की वेबसाईट www.onlinehrda.com पर भी उपलब्ध रहेगी। पंजीकरण पुस्तिका के निर्धारित प्रारूप एवं शपथ पत्र पर पंजीकरण की तिथि के अन्दर आवेदन करना होगा। वेबसाईट से डाउनलोड आवेदन पंजीकरण धनराशि+पंजीकरण पुस्तिका मूल्य रु. 500.00 + 90 (GST) के भुगतान उपरान्त ही स्वीकार होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
8.2 अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षरित एवं गलत आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।
8.3 आवेदन पत्र पर स्व-प्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ लगाना आवश्यक होगा।
8.4 आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी का आरक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
8.5 दुर्बल आय वर्ग के आवेदक को आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों को छुपाना :-

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन में गलत सूचनाएं दी गयी हैं और उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ फ्लैट आवेदक को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा धनराशि से 25 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के आवेदक को वापिस कर दी जाएगी।

10. असफल आवेदक :-

जिन आवेदकों को फ्लैट आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के पास जमा रहती, उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी।

11. पंजीकरण प्रक्रिया :-

- 11.1 पंजीकरण हेतु माह की अंतिम तिथि को श्रेणीवार प्राप्त आवेदन सूचीबद्ध किये जायेंगे। पंजीकरण सूची में प्राप्त आवेदनों की पात्रता की जांच उपाध्यक्ष द्वारा गठित समिति के द्वारा की जाएगी।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

- 11.2 पंजीकरण सूची में ऐसे आवेदक जो पात्रता पूर्ण नहीं रखते हैं उनकी सूची प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी।
- 11.3 पंजीकरण सूची में पात्र न पाये जाने वाले आवेदकों को पंजीकरण सूची से हटा दिया जाएगा तथा सूची को नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर उसकी जमा पंजीकरण धनराशि का चैक उन्हें प्रेषित कर दिया जाएगा।
- 11.4 पंजीकरण की निर्धारित पात्रता वाले आवेदक को भवन/फ्लैट की श्रेणीवार उनके आरक्षण वर्ग में रखते हुए सूची तैयार की जाएगी। जो अंतिम पंजीकरण सूची कही जायेगी।
12. आवंटन प्रक्रिया :—
- 12.1 श्रेणीवार एवं आरक्षण की स्थिति अनुसार रिक्त भवनों/फ्लैटों के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को पहले आओ-पहले पाओ (First Come-First Serve) के आधार पर आवंटन किया जाएगा।
- 12.2 पंजीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले आवेदक जिन्हें प्रथम आवत-प्रथम पावत (First Come-First Serve) के आधार पर आवंटन नहीं हो पायेगा उन्हें उनके अनुरोध पर प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यह प्रतीक्षा सूची 6 माह तक जारी रहेगी।
- 12.3 प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक लिखित प्रार्थना पत्र पर अपनी धनराशि वापिस प्राप्त कर सकेगा, परन्तु ऐसी जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
13. भुगतान :—
- A.1 2 बी.एच.के. तथा 1 रुम (EWS) के भवन/फ्लैट आवंटियों को भवन मूल्य की 25% (प्रतिशत) धनराशि आरक्षण धनराशि के रूप में आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर जमा करानी होगी।
- A.2 2 बी.एच.के. तथा 1 रुम (EWS) के भवन/फ्लैट आवंटियों को आरक्षण धनराशि का भुगतान निर्धारित अवधि में न किये जाने की दशा में बिलम्बतः 1 माह का अतिरिक्त अवसर बिलम्ब अवधि के 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा करने के लिए अनुमन्य होगा। अतिरिक्त अवसर के बाद भी ब्याज सहित धनराशि प्राप्त न होने की दशा में आवंटन निरस्त माना जाएगा तथा रिक्त भवन/फ्लैट का आवंटन क्रमवार प्रतीक्षा सूची में अंकित व्यक्ति को कर दिया जाएगा।
- B. नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत जमा की जानी वाली धनराशि :—
नगद भुगतान के आवेदकों को भवन मूल्य के सापेक्ष जमा की गयी पंजीकरण धनराशि एवं आवंटन धनराशि जमा करने के पश्चात शेष 65 प्रतिशत धनराशि का भुगतान आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा।
- C. किश्त भुगतान के अन्तर्गत जमा की जानी वाली धनराशि :—
- C.1 2 बी.एच.के. के फ्लैट के आवेदकों को अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 20 समान त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। किश्तों की गणना Loan Payment Formula पर आधारित होगी।
- C.2 1 रुम फ्लैट (EWS) के आवेदकों को अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 80 समान त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। किश्तों की गणना Loan Payment Formula पर आधारित होगी।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

14. भुगतान पद्धति में परिवर्तन :-

किश्त भुगतान प्रक्रिया को एक मुश्त भुगतान में परिवर्तन की सुविधा आवंटी के अनुरोध पर केवल 01 बार ही अनुमन्य की जाएगी। भुगतान परिवर्तन की गणना में सर्वप्रथम ब्याज का समायोजन जमा धनराशि से किया जाएगा। तत्पश्चात् जमा राशि को मूल राशि से घटाने के उपरान्त शेष राशि को एक मुश्त राशि के रूप में जमा कराना होगा।

15. भुगतान में विलम्ब पर दण्ड ब्याज :-

भवन/फ्लैट की देय धनराशि निर्धारित तिथि में मान्य होगी। किश्त भुगतान विलम्बतः 03 माह के अन्दर विलम्ब ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए अनुमन्यता होगी। 03 माह से अधिक विलम्ब करने पर प्राधिकरण को आवंटित सम्पत्ति निरस्त करने का अधिकार होगा।

16. भवन/फ्लैट नम्बर ढाः :-

16.1 भवन/फ्लैट नम्बर ढाः के माध्यम से किया जायेगा तथा ढाः की तिथि, समय व स्थान उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसकी सूचना राज्य स्तर से प्रकाशित समाचार पत्र में दी जाएगी अथवा आवंटी को उसके दिये गये पते पर पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

16.2 भवन/फ्लैट नम्बर ढाः की तिथि विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही निर्धारित की जाएगी। भवन/फ्लैट नम्बर ढाः की प्रक्रिया में सर्वप्रथम श्रेणीवार आवंटियों की सूची में अंकित नामों की पर्ची एक बॉक्स में डाली जाएगी तथा दूसरे बॉक्स में भवनों/फ्लैटों की नम्बर सूची डाली जाएगी। नाम वाले बॉक्स से 1 पर्ची तथा नम्बर वाले बॉक्स से एक पर्ची उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा निकलवायी जाएगी। इसी क्रम में प्रत्येक आवंटी के नम्बर की पर्ची निकाली जाएगी तथा उसे सूचीबद्ध करके नम्बर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

17. सम्पत्ति को बंधक रखा जाना :-

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त करने पर आवंटित सम्पत्ति को किसी वित्तीय संस्था/सरकारी कार्यालय/स्थानीय निकाय/कारपोरेट कार्यालय के पक्ष में बंधक रखी जा सकती है तथा इस हेतु आवंटी, ऋणदाता/बंधकदाता, आवंटी को त्रिपक्षीय अनुबन्ध हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के मध्य निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।

18. प्रार्थना पत्र की वापसी/आवंटन का समर्पण अथवा निरस्तीकरण :-

18.1 प्रार्थना पत्र की वापसी :-

यदि आवंटन से पूर्व कोई आवेदक अपना प्रार्थना पत्र वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में जमा पंजीकरण धनराशि से रु. 5,000.00 (पाँच हजार) की प्रक्रियात्मक (Process Fee) व्यय की कटौती की जाएगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के आवेदक को वापिस कर दी जाएगी।

18.2 आवंटित सम्पत्ति का समर्पण/निरस्तीकरण :-

18.2.1 यदि किसी आवेदक को भवन/फ्लैट का आवंटन हो जाता है तथा आवंटन पश्चात् आवेदक द्वारा आवंटन निरस्त करने अथवा धनराशि की वापसी हेतु अनुरोध किया जाता है अथवा प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जाता है तो ऐसी दशा में आवंटन की तिथि से 6 माह के अन्दर ऐसे अनुरोध अथवा प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त होने पर जमा पंजीकरण धनराशि से 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज आवेदक/आवंटी को वापिस कर दी जाएगी।

18.2.2 यदि कोई सम्पत्ति आवंटन के 6 माह बाद और 2 वर्ष के अन्दर आवंटी द्वारा समर्पण की जाती है अथवा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त की जाती है तो पंजीकरण धनराशि से 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

18.2.3 यदि कोई सम्पत्ति आवंटन के 2 वर्ष के बाद आवंटी द्वारा कब्जा लेने से पूर्व समर्पण की जाती है अथवा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त की जाती है तो जमा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी।

18.2.4 यदि कोई सम्पत्ति कब्जा प्राप्त करने के बाद आवंटी द्वारा समर्पण अथवा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त की जाती है तो सम्पत्ति के पक्ष में जमा धनराशि से 25 प्रतिशत धनराशि जब्त की जाएगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के आवंटी को वापिस कर दी जाएगी।

18.2.5 यदि कोई आवंटी द्वारा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के उपरांत सम्पत्ति के अवशेष देयकों का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी धनराशि की वसूल प्राधिकरण द्वारा भूराजस्व की बकाया के रूप में की जा सकेगी।

19. भवन/फ्लैट का कब्जा :-

19.1 भवन/फ्लैट का मूल्य अनुमानित है तथा भवन/फ्लैट के कब्जे से पूर्व अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम मूल्यांकन उपरान्त भवन/फ्लैट की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान आवंटी को करना होगा।

19.2 भवन/फ्लैट का आवंटन 90 वर्ष के पट्टा/लीज पर किया जाएगा। भूमि मूल्य के प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेण्ट कब्जा से पूर्व अदा करना होगा।

19.3 किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति का कब्जा निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध कराने के पश्चात् दिया जाएगा।

19.4 नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत भवन का समस्त मूल्य की धनराशि का 'भूमि का पट्टा एवं निर्माण का विक्रय' की कार्यवाही के उपरान्त आवंटित फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा।

20. भवन/फ्लैट उपयोग :-

20.1 भवन/फ्लैट जिस उपयोग के लिए आवंटित किया जाएगा, उसी उपयोग में लाना अनिवार्य होगा।

20.2 भवन/फ्लैट के आन्तरिक तथा बाह्य भाग में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

20.3 भवन/फ्लैट के आन्तरिक तथा बाह्य भाग की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

21. विक्रय/लीज हस्तान्तरण :-

21.1 आवंटित भवन/फ्लैट का विक्रय किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा परन्तु लीजडीड निष्पादन एवं कब्जा की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरण की अनुमति उपाध्यक्ष हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण को प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसा हस्तान्तरण तभी अनुमन्य किया जाएगा जब क्रेता/विक्रेता भवन मूल्य का 20 प्रतिशत लाभांश शुल्क के रूप में प्राधिकरण कोष में जमा करायेगा। लाभांश की गणना सर्किल दर से निकाली गयी कीमत एवं मूल आवंटन में अंकित मूल्य के अन्तर पर की जाएगी।

21.2 05 वर्ष उपरान्त भवन/फ्लैट को विक्रय करने के लिए प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी परन्तु इसके लिए कोई शुल्क/चार्ज देय नहीं होगा, परन्तु क्रेता/विक्रेता को लीज का हस्तान्तरण सम्बन्धी विलेख सब रजिस्ट्रार कार्यालय में निष्पादित करना होगा।

22. नामान्तरण :-

22.1 भवन/फ्लैट के सम्बन्ध में प्राधिकरण अभिलेखों में नामान्तरण हेतु लीज/विक्रय विलेख का 1 प्रतिशत चार्ज भुगतान करने पर नामान्तरण की अनुमति होगी।

22.2 नामान्तरण उपरान्त पंजीकरण पुस्तिका एवं आवंटन नियमावली की सभी शर्त क्रेता/विक्रेता को मान्य होगी।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

23. योजना का रख-रखाव :-

- 23.1 योजना में उपलब्ध सर्विसेज के रख-रखाव का कार्य आवंटियों द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन सम्पूर्ण भवनों के 50 प्रतिशत स्वामियों द्वारा फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त करने/निवास करने पर किया जाना अनिवार्य होगा।
- 23.2 योजना में सर्विसेज के अनुरक्षण हेतु 2 बी.एच.के. भवनों के स्वामियों को रु. 1,00,000.00 (एक लाख) तथा दुर्बल आय वर्ग के भवन स्वामियों को रु. 25,000.00 (पच्चीस हजार) सर्विस चार्ज के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। सर्विस चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि का एक अलग खाते में विनियोजित किया जाएगा जिसमें से सर्विसेज पर हुए व्यय का भुगतान किया जाएगा। परियोजना को रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हेण्डओवर करने के पश्चात् उक्त खाते की अवशेष को आर.डब्लू.ए. द्वारा खोले गए खाते में हस्तान्तरित कर दी जाएगी।
- 23.3 रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन उपनिबन्धक सोसायटी के रजिस्ट्रार से कराये जाने के पश्चात ही विधिक मान्यता दी जाएगी।
- 23.4 योजना के रख-रखाव हेतु यदि किन्हीं कारणों से एक से अधिक रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस एसोसिएशन के अधिक मेम्बर होंगे उसी एसोसिएशन को प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

24. कर एवं शुल्कों का भुगतान :-

- 24.1 सरकारी संस्था/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए करों का भुगतान कब्जा उपरान्त आवंटी को करना होगा। ऐसा कर भुगतान न करने की दशा में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधन अधिनियम, 2013) की धारा-40 के अधीन भू-राजस्व बकाये की भांति वसूल की जा सकेगी।
- 24.2 यदि प्राधिकरण को निर्माण कार्य पर भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग को सर्विस टैक्स, लेवी, डिक्री आदि के रूप में कोई भुगतान करना पड़ता है तो उस दशा में भुगतान की गयी धनराशि को आवंटियों से समानुपातिक रूप से कब्जे से पूर्व वसूल किया जाएगा।

25. आरक्षण :-

विभिन्न आवासीय सम्पत्तियों हेतु शासनादेश संख्या 1286 दिनांक 26-07-2006 द्वारा आरक्षण व्यवस्था लागू है जो निम्न प्रकार है-

25.1 शीर्ष आरक्षण :-

◆	अनुसूचित जाति	19%
◆	अनुसूचित जनजाति	04%
◆	अन्य पिछड़ा वर्ग	14%
◆	सांसद, विधायक व स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	05%
◆	राज्य सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	06%
◆	सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त पत्रकार	02%

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

नोट—उपरोक्तानुसार आरक्षित श्रेणी के उपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध रहेगा।

25.2 क्षेत्रिज आरक्षण :-

शीर्ष आरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्रिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा :—

♣ महिलायें	30%
♣ सीनियर सिटीजन	10%
♣ भूतपूर्व सैनिक	02%
♣ विकलांग	03%
♣ स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित	02%

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

26. आरक्षण अनुसार रिक्त सम्पत्तियों का विवरण :-

2 बी.एच.के. भवनों/फ्लैट्स का विवरण

क्रम	शीर्ष आरक्षण	आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त भवनों की संख्या	क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त भवन/फ्लैट					
			महिलायें	सीनियर सिटीजन	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	अन्य
1.	अनुसूचित जाति	18	05	02	0	01	0	10
2.	अनुसूचित जनजाति	04	01	0	0	0	0	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	04	01	0	0	0	08
4.	सांसद, विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05	02	0	0	0	0	03
5.	राज्य सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	06	02	01	0	0	0	03
6.	राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार	02	01	0	0	0	0	01
7.	सामान्य	36	11	04	01	01	01	18
	कुल योग	84	26	08	01	02	01	46

1 रुम (दुर्बल आय वर्ग) आरक्षण अनुसार रिक्त सम्पत्तियों का विवरण :-

क्रम	शीर्ष आरक्षण	आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त भवनों की संख्या	क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त भवन/फ्लैट					
			महिलायें	सीनियर सिटीजन	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	अन्य
1.	अनुसूचित जाति	05	02	01	0	0	0	02
2.	अनुसूचित जनजाति	02	01	0	0	0	0	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	02	01	0	0	0	03
4.	सांसद, विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	02	01	0	0	0	0	01
5.	राज्य सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	03	01	01	0	0	0	01
6.	राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार	01	0	0	0	0	0	01
7.	सामान्य	09	04	0	0	0	0	05
	कुल योग	28	11	03	0	0	0	14

Affidavit

01

Annexure-1

(On a Ten Rupees Non-Judicial Stamp Paper duly attested by the Notary) Before the Vice-Chairman Hardwar-Roorkee Development Authority, Hardwar

Age years and full address,

I do solemnly affirm and declare as under :-

1. I have submitted an application to the Hardwar Development Authority vide Application form No Dated for a House 2 BHK/EWS Housing under Indralok Residential Scheme (Group Housing)
2. That I am an adult and my age is above 18 years.
3. That I am a citizen of India.
4. That I or my family do not hold any house or plot of land in any of the colony under development area of Haridwar-Roorkee Development Authority and colony development by U.P./Uttarakhand Avas Vikas Parishad at any other local body/society in Hardwar and I am eligible applicant according rules 7.00 shown in registration booklet of this scheme.
5. That I have reads and clearly understood the rules/conditions/definitions as written in the purchase booklet annexed to the Application and undertake to abide by them.
6. That the total income of any family from all sources is Rs per annum.
(Only for the applicants of Economically weaker section)
7. That I have applied under reserved category for which I am entitled:
Contrary of it H.R.D.A. shall have the right to cancel my Allotment for house.
8. That I am not/income tax payer and my permanent Account No. (PAN) is and last year assessed income was Rs
9. That al the terms and conditions imposed by the Hardwar-Roorkee Development Authority are acceptable to me.
10. That if I do not take the possession of flat or do not deposit the demanded amount within due date or do not get the House registered in my name or violate the terms and conditions laid down by the Hardwar-Roorkee Development Authority (H.R.D.A.) the H.R.D.A. shall have the right to forfeit the entire sum deposited or cancel the allotment of Flat in the Indralok Avasiya Yojna (Group Housing), Hardwar.
11. That no fact is concealed or untrue in the information given by me in the application regarding allotment of flat by Hardwar-Roorkee Development Authority, If the facts found untrue the H.D.A. shall have the right to cancel the allotment and also have the right to take legal actions.

Sig. of Deponent

Declaration

The above mentioned statements are true and accurate to the best of my Knowledge and belief. Nothing is false and nothing is concealed therein. So God may help me.

Sig. of Deponent

शपथ पत्र

(रु. 10/- के नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

समक्ष : उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

मिनजानिब : श्री/श्रीमति/कुमारी.....	पुत्र/पुत्री/पत्नी.....	निवासी.....
.....
मैं.....	व्यवसाय.....	आयु.....

शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ :-

1. यह कि शपथकर्ता हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की इन्ड्रलोक आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग हरिद्वार के अन्तर्गत वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 2 BHK/EWS के भवन हेतु आवेदन पत्र संख्या- दिनांक को प्रस्तुत किया है।
2. यह कि शपथकर्ता बालिग है तथा उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
3. यह कि शपथकर्ता भारत वर्ष का नागरिक है।
4. यह कि शपथकर्ता अथवा शपथकर्ता के परिवार के नाम हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कॉलोनी में एवं उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् अथवा स्थानीय निकाय/समिति द्वारा विकसित आवासीय कालोनी में कोई आवास/फ्लैट तथा भूखण्ड नहीं है तथा शपथकर्ता इस योजना की पंजीकरण पुस्तिका की नियम/बिन्दु संख्या-7.00 के अनुसार आवेदन का/की पात्र हूँ।
5. यह कि शपथकर्ता आवेदन पत्र के साथ क्रय पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों/परिभाषाओं को स्पष्ट पढ़ व समझ लिया है तथा शपथकर्ता को पंजीकरण पुस्तिका के नियम/शर्तें स्वीकार हैं तथा इनके पालन का वचन देता/देती हूँ।
6. यह कि शपथकर्ता के परिवार की समस्त श्रोतों से आय रु० प्रतिवर्ष है (केवल दुर्बल आय के आवेदकों हेतु)
7. शपथकर्ता आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है एवं शपथकर्ता इस श्रेणी के लिए पात्र है अन्यत्र पाये जाने की दशा में हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण को भवन आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. यह कि शपथकर्ता आयकर दाता है/नहीं है तथा शपथकर्ता का इन्कम टैक्स परमानेन्ट एकाउन्ट न० है तथा गत ऐसेमेन्ट वर्ष में शपथकर्ता की वार्षिक आय रु० थी।
9. यह कि शपथकर्ता हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की सभी शर्तें/नियम स्वीकार/मान्य हैं।
10. यह कि शपथकर्ता हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण से आवंटन उपरान्त आवंटित भवन का कब्जा न लूँ अथवा निर्धारित समय से मांगा रुपया न जमा करूँ तो प्राधिकरण को शपथकर्ता द्वारा जमा समस्त धन को जब्त करने तथा भवन आवंटन रद्द करने तथा भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
11. यह कि आवेदन पत्र में शपथकर्ता द्वारा दर्शायी गयी सूचनायें एवं संलग्नक अभिलेख सत्य हैं तथा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है यदि भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में कोई तथ्य छिपाया गया तो हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण को आवंटित भवन के आवंटन को निरस्त करने एवं वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र का पैरा 1 से 11 तक विवरण एवं कथन मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा न ही इसका कोई भाग असत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथकर्ता

Application form No :

01

HARDWAR ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY, HARIDWAR INDRALOK RESIDENTIAL SCHEME (GROUP HOUSING)

Photograph

Part-A

1. Name of the applicant :
2. Name of Father/ Husband :
3. Date of birth : (A) Age..... (B) Nationality.....
4. Postal address :
5. Permanent address :
6. Pan No. (Income Tax)
(For 2 BHK Flat/House) :

OR

If applicant is farmer, then attach copy of the Jot Bahi

7. Income certificate No.....(Attach a certified copy of income certificate)
(Applicable for EWS Category applicants)
8. Reservation Category :

Part-B

1. Category of plot/flat :
2. Mode of Payment (Cash Installment) :
3. Reservation Vertical..... Horizontal.....
4. Annual income :
5. Monthly income :
(Applicable for EWS Category applicants)
6. Nominee
A. Name..... Relation to applicant..... Age.....
B. Name..... Relation to applicant..... Age.....

Enclosers:.....

Date:.....

I/we certify that the information given is true and correct. I/we understand that if any fact has been suppressed or misrepresented, it shall render this application invalid, and conversion null and void.

Signature of Applicant

Signature of Applicant

आवेदन पत्र संख्या :

०१

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप हाउसिंग)

Photograph

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि : (अ) आयु (ब) नागरिकता
4. पत्राचार का पता :
5. स्थायी पता (फोन नं. सहित) :
6. पैन न०—(आयकर) :
(2 BHK, भवन के आवेदक हेतु)

अथवा

(यदि आवेदक कृषक है तो जोत बही संलग्न करें)

7. आय प्रमाण पत्र सं० : (आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
(दुर्बल आय वर्ग के आवेदकों हेतु लागू)

8. आरक्षण श्रेणी :

भाग—ब

1. भूखण्ड/भवन की श्रेणी :
2. भुगतान पद्धति (नगद भुगतान/किश्त)
3. आरक्षण वर्ग (ए) शीर्ष (ब) क्षेत्रिज
4. वार्षिक आय :
5. मासिक आय :
6. उत्तरजीवी/नोमनी
ए. नाम आवेदक से सम्बन्ध आयु
ब. नाम आवेदक से सम्बन्ध आयु

संलग्नक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दी गई सूचना सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि यदि कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है तो यह आवेदन अवैध हो जायेगा और परिवर्तन अकृत और शून्य होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

Hardwar-Roorkee Development Authority, Hardwar

कार्यालय प्रति

चालान फॉर्म संख्या

01

Challan Form No.

Receipt HRDA Copy

योजना का नाम

Scheme Name INDRALOK RESIDENTIAL SCHEME (Group Housing)

सम्पत्ति श्रेणी

Property Category :

नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)

Name (Mr./Ms./Mrs.)

पिता/पति का नाम श्री

Father's/Husband's Name

Mr.....

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence.....

जमा की गई धनराशि

Amt. Deposited : Rs.....

दिनांक :

Date :

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

Received a sum of Rs.....

On behalf of Vice-Chairman, Hardwar-Roorkee Development Authority
Hardwar vide DD/PO No.....

Dated.....

Drawn on.....

Date of Receipt

DD

MM

YY

Seal & Signature

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

Hardwar-Roorkee Development Authority, Hardwar

लेखा प्रति

चालान कार्ड संख्या

Challan Form No.

01

Receipt Copy of Account Section

योजना का नाम

Scheme Name **INDRALOK RESIDENTIAL SCHEME (Group Housing)**

सम्पत्ति श्रेणी

Property Category :

नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)

Name (Mr./Ms./Mrs.).....

पिता/पति का नाम श्री

Father's/Husband's Name

Mr.....

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence.....

जमा की गई धनराशि

Amt. Deposited : Rs.....

दिनांक :

Date :

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

Received a sum of Rs.....

On behalf of Vice-Chairman, Hardwar-Roorkee Development Authority
Hardwar vide DD/PO No.....

Dated..... Drawn on.....

Date of Receipt

DD

MM

YY

Seal & Signature

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
Hardwar-Roorkee Development Authority, Hardwar
आवेदक प्रति

चालान फार्म संख्या
Challan Form No.

01

Receipt Copy of Applicant

योजना का नाम

Scheme Name **INDRALOK RESIDENTIAL SCHEME (Group Housing)**

सम्पत्ति श्रेणी

Property Category :

नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)

Name (Mr./Ms./Mrs.).....

पिता/पति का नाम श्री

Father's/Husband's Name

Mr.

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence.....

जमा की गई धनराशि

Amt. Deposited : Rs.....

दिनांक :

Date :

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

Received a sum of Rs.....

On behalf of Vice-Chairman, Hardwar-Roorkee Development Authority
Hardwar vide DD/PO No.....

Dated..... Drawn on.....

Date of Receipt


DD

MM


YY

Seal & Signature

KEY PLAN



SITE PLAN





हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण

मायापुर, हरिद्वार-249401, उत्तराखण्ड
फोन : 01334-221558, फैक्स : 01334-265702